

ब्याज स्थगन घोषणा पर दशा-नरिदेश

प्रलिमिस के लयि:

ब्याज स्थगन घोषणा पर दशा-नरिदेश

मेन्स के लयि:

ब्याज स्थगन घोषणा पर दशा-नरिदेश

चरचा में क्यो?

हाल ही में सरकार ने 'भारतीय रजिरव बैंक' द्वारा प्रारंभ 'ब्याज स्थगन' घोषणा के परचालन के संबंघ दशा-नरिदेश जारी कयि हैं ।

प्रमुख बदि:

- सर्वोच्च न्यायालय COVID-19 महामारी के राहत उपायो के तहत घोषति 'ऋण स्थगन अवधि' (Moratorium Period) से संबंघति मुद्दों की याचिकाओं पर सुनवाई की गई ।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 14 अक्टूबर को योजना को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर लागू करने का नरिदेश दया गया था ।
- भारतीय रजिरव बैंक द्वारा यद्यपि ब्याज स्थगन की घोषणा की गई थी परंतु इस संबंघ में सरकार द्वारा कोई वसितुत दशा-नरिदेश जारी नहीं कयि गए थे । सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद वतित मंत्रालय द्वारा इस संबंघ में औपचारिक दशा-नरिदेश जारी कयि गए हैं ।
- योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग 6,500 करोड़ रुपए की राशविहन की जाएगी ।

प्रमुख दशा-नरिदेश:

- दशा-नरिदेशों के तहत बैंकों तथा अन्य उधारदाताओं यथा- सहकारी बैंक और गैर-बैंकगि वतित कंपनयिँ आदि को भी शामिल कया गया है ।
- 'सुकषम, लघु और मध्यम उद्यम' ऋण, शकिषा ऋण, आवास ऋण, उपभोक्ता टकिरु ऋण, क्रेडिटि कार्ड बकाया, ऑटोमोबाइल ऋण, पेशेवर और उपभोग ऋण आदि योजना के पात्र हैं ।
- 29 फरवरी, 2020 तक ऋण खाता 'मानक खाता' होना चाहयि अरथात 'गैर-नषिपादनकारी संपतर्ति' (NPA) के रूप में वर्गीकृत खाते योजना के तहत लाभार्थी नहीं होंगे ।
- 1 नवंबर से 31 अगस्त के बीच छह महीने (184 दिन) की अवधि के लयि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर को 5 नवंबर तक ग्राहकों के ऋण खातों में क्रेडिटि करने के लयि कहा गया है ।
- यह उन उधारकर्त्ताओं के लयि भी लागू कया जाएगा जनिहोंने 31 अगस्त की समयसीमा तक योजना के तहत लाभ नहीं उठाया था ।

Festive respite

Banks will credit compound interest levied on loans up to ₹2 crore between March 1 and August 31 back to borrowers by November 5

LOANS COVERED:

- Home
- Education
- Consumer durables
- Automobiles
- Credit card dues
- Loans to micro, small and medium enterprises



CONDITION: Aggregate of all outstanding loans must not exceed ₹2 crore

- Eligible borrowers will get benefit irrespective of whether they availed the moratorium or not
- Lenders have been asked to set up grievance redressal system for the scheme within a week
- The government will reimburse banks and NBFCs after they credit loan accounts and submit claims

ब्याज स्थगन योजना:

- ध्यातव्य है कि COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए भारतीय रज़िर्व बैंक ने बैंकों द्वारा दिये गए ऋण के भुगतान पर 90 दिनों (1 मार्च से 31 मई तक) के अस्थायी स्थगन की घोषणा की थी, इस अवधि के बाद में 31 अगस्त तक बढ़ा दिया था।
- योजना का उद्देश्य महामारी के दौरान उधारकर्त्ताओं को राहत प्रदान करना था। इसके तहत ब्याज की राशि और मूल राशि दोनों को कवर किया गया था।

ब्याज स्थगन की गणना:

- आमतौर पर ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज सूत्र का उपयोग करके की जाती है, अर्थात् आप अर्जति ब्याज पर भी ब्याज का भुगतान करते हैं। ऋण स्थगन योजना के तहत उधारकर्त्ताओं को ऋण स्थगन अवधि के दौरान बकाया ऋण राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज के बजाय साधारण ब्याज का भुगतान करना होता है।
- साधारण ब्याज (जो योजना के तहत पेश किया गया है) और चक्रवृद्धि ब्याज (एक सामान्य बैंकिंग अभ्यास) के बीच का अंतर सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- योजना का लाभ उन उधारकर्त्ताओं को भी मिलेगा जिन्होंने 'स्थगन अवधि' के दौरान भी अपनी ईएमआई का भुगतान किया है।
- योजना के तहत मिलने वाले छूट लाभ की राशि उस ब्याज की राशि से सीधे अनुपातिक रूप से संबंधित होती है जिसका भुगतान स्थगन अवधि के दौरान करना होता है।

नषिकर्ष:

- त्योहार के मौसम की शुरुआत में ब्याज में राहत देने से न केवल उधारकर्त्ताओं को राहत मिली है, बल्कि इसने बैंकों के NPA में वृद्धि की संभावना को भी कम किया गया है। परंतु इससे सरकार के राजकोषीय नीतितंत्र पर नरिणय प्रभावित हो सकते हैं।

स्रोत: द हट्टू